कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

क्रमांक/ 80 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023 सुकमा,दिनांक 18/01/2024

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
(एन.आई.सी.)
जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु।

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि **नगर सुकमा के महादेव डोंगरी से जिला सेनानी कार्यालय से एन.एच. 30 तक पहुंच मार्ग निर्माण** हेतु, नगर सुकमा के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के तहत् प्रारंभिक अधिसूचना क्रंमाक/149/रा.प्र.क्र-202201190300022/अ-82/2021-22 दिनांक 17.01.2024 हस्ताक्षर उपरान्त इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः संलग्न प्रारंभिक अधिसूचना को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः- **उपरोक्तानुसार।**

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/80A/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023 सुकमा,दिनांक 18/01/2024

प्रतिलिपीः-

1- कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा),जिला-सुकमा(छ.ग.)की ओर सादर सूचनार्थ। एवं सूचना पटल में प्रकाशित हेतु प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

2- तहसीलदार,तहसील-सुकमा को सूचनार्थ एवं संलग्न प्रारंभिक अधिसूचना को सूचना पटल में प्रकाशित हेतु ।

3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद सुकमा को सूचनार्थ एवं संलग्न प्रारंभिक अधिसूचना को सूचना पटल में प्रकाशित हेतु ।

4- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.)सुकमा के सूचना पटल में प्रकाशित हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

//प्रारंभिक अधिसूचना//

दिनांक 17/01/2024

क्रमांक/ 149 /रा.प्र.क.–202201190300022/अ–82/2021–22, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

//अनुसूची//

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7
सुकमा	सुकमा	13/सुकमा	856/13	0.012	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा जिला सुकमा (छ0ग0)	नगर सुकमा के महादेव डोंगरी से जिला सेनानी कार्यालय से एन.एच. 30 तक पहुंच मार्ग निर्माण
			856/19	0.020		
			856/4	0.012		
			858/1	0.020		
			886/3	0.006		
योग–			कुल 05 खसरा	कुल रकबा 0.070		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्टा के कार्यालय में किया जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्टा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हरीस. एस)
कलेक्टर, जिला सुकमा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग